

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण  
प्रकरण संख्या 125/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा पिपली तिराहा, शाहपुरा, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स जय अम्बे साडीज जरिये प्रोपराईटर श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री घासी राम शर्मा,  
पता:- मुख्य बाजार, ग्राम व पोस्ट शाहपुरा, जिला जयपुर  
एवं ग्राम भानीपुरा, देवीपुरा, पोस्ट नाथावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री घासीराम शर्मा,  
पता:- ग्राम भानीपुरा, देवीपुरा, पोस्ट नाथावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री विनोद खाण्डल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.07.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान दिनांक 03.01.2020 को हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मनोज कुमार शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा संख्या 623, खसरा संख्या 113, रकबा 0.32, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 58.33 वर्गगज को बंधक रखकर कुल राशि 27,40,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.03.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक/हाइपोथिकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है। तत्पश्चात् केवल दो सम्पत्ति का ही कब्जा दिलाने का निवेदन किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 27,40,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि

युक्त  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

19,96,703/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.03.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कर दिया गया है तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री मनोज कुमार शर्मा के स्वामित्व की बंधक संपत्ति पट्टा संख्या 623, खसरा संख्या 113, रकबा 0.32, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, ग्राम बिदारा, तहसील शाहपुरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 58.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 04.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)